—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 84/2020

उनवान

शान्ति पत्नी बद्रीप्रसाद जाति खाती निवासी ग्राम देवलिया, नसीराबाद
——वादीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. कानी पत्नी रतनलाल
2. जजोराराम
3. मानाराम
4. शैतान सिंह पि. रतनलाल समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम देवलिया, नसीराबाद
5. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :— 1 से 4 जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत
5 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 6.12.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देवलिया प.म. मावशिया के वंर्किग खसरा नम्बर 1828 रकबा 13—0—0 के हाल खसरा नम्बर 2120/2523 रकबा 2.11 के मूल खातेदार नन्दराम पुत्र भगवान सिंह थे जिनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी उनके विधिक वारिस देवप्रकाश पुत्र नन्दराम के नाम दर्ज हुयी। देवप्रकाश ने आराजी मुतनाजा का विक्रय दिनांक 10.04.2006 को वादी को कर दिया तथा आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में वादी के नाम खातेदारी दर्ज है। राजस्व अधिकारियो व बंदोबस्त विभाग ने अपने हक व अधिकारों से परे जाते हुये उक्त आराजी के मिलान क्षेत्रफल में पुराने खसरा नम्बर 1818 गलत अंकित कर दिये तथा राजस्व मानचित्र में वादी के खातेदारी खसरा नम्बर 2120/2523 के उत्तरी दिशा की ओर खसरा नम्बर 2120/2524 (प्रतिवादीगण की भूमि) व खसरा नम्बर 2120/2622 रास्ते की भूमि का रकबा ज्यादा करते हुये वादी के खेत कर

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:04:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आकृति छोटी कर दी वादी की भूमि के पश्चिम दिशा की ओर हाल खसरा नम्बर 2120/2613 चरागाह का अंकन कर दिया। अतः वादी के खेत के उत्तरी दिशा की लाईन को दुरूस्त कर खेत की आकृति में रकबा वृद्वि कर नक्शा दुरूस्ती की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने जवाब मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 2120/2622 राजव अभिलेख में खान के रूप में अंकित है। राजस्व अभिलेख में बतायी गयी त्रुटि से प्रतिवादी पक्ष का क्या सबंध है, यह वर्णित नही किया गया है। प्रतिवादी किसी भी रूप में वादी को बेदखल करने पर आमादा नही है। सबंधित पक्षकार जिनके नाम राजस्व अभिलेख में अंकित है, को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है। अतः प्रतिवादी का खसरा नम्बर 2120/2524 का रकबा राजस्व मानचित्र में पूर्व मानचित्र के अनुसार किया जावे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनजा का राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण होने से वादी दुरूस्ती का अधिकारी है ?

—— वादी

2. आया वाद अपूर्ण पक्षकार होने से खारिज योग्य है ?

—— प्रतिवादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी के बयान दर्ज कराये।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

<u>तनकी संख्या 1 :–</u>

हाल खसरा नम्बर 2120/2523 रकबा 2.11 वादी की खातेदारी का है। हाल खसरा नम्बर 2120/2524 व 2120/2525 प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की खातेदारी का है। खसरा नम्बर 2120/2622 रकबा 0.45 सिवायचक खान व खसरा नम्बर 2120/2613 चरागाह है। उक्त सभी खसरा नम्बर हाल राजस्व मानचित्र व मौके पर आस–पास ही स्थित है। वादी की खातेदारी का साबिक खसरा नम्बर 1818, प्रतिवादीगण की खातेदारी का साबिक खसरा नम्बर 1848 व सिवायचक आराजी का साबिक खसरा नम्बर 1848, 1828 व 1829 है। वंर्किग राजस्व मानचित्र में भी उक्त आराजी आस–पास ही स्थित है। वादी का कथन है कि राजस्व मानचित्र में वादी के खातेदारी खसरा नम्बर 2120/2523 के उत्तरी दिशा की ओर खसरा नम्बर 2120/2524 (प्रतिवादीगण की भूमि) व [illegible] 2120/2622 रास्ते की भूमि का रकबा ज्यादा करते हुये वादी के खेत कर आकृति छोटी [illegible] पूर्व व हाल राजस्व मानचित्र के अवलोकन द वाद के कथनों से हाल राजस्व मानचित्र [illegible] पायी जाती है। प्रतिवादी

——3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:04:38 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 से 4 ने भी हाल राजस्व मानचित्र को सही नही बताया है, साथ ही वाद के खण्डन हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेज भी पेश नही किये है। आराजी मुतनाजा का रकबा राजस्व अभिलेख व मौके पर सही है वादी मात्र राजस्व मानचित्र में दुयसती का अनुतोष चाहता है। वादी के खसरा नम्बर का राजस्व मानचित्र दुरूस्त होने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। राज. पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। तनकी बहक वादी निर्णत की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने अपने जवाब के साथ प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया है कि सबंधित पक्षकार जिनके नाम राजस्व अभिलेख में अंकित है, को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है। अतः प्रतिवादी का खसरा नम्बर 2120/2524 का रकबा राजस्व मानचित्र में पूर्व मानचित्र के अनुसार किया जावे। किन्तु प्रतिवादी ने अपने जवाब में अथवा दौराने बहस यह स्पष्ट नही किया है कि कौन से खसरा नम्बर के खातेदार पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। वादी द्वारा राजस्व अभिलेख में दर्ज आराजी मुतनाजा के समसत खातेदार को पक्षकार मुर्तिब किया है। अतः वाद में अपूर्ण पक्षकार के तथ्य सिद्व नही होते है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिदावे में यह भी रूपष्ट नही किया है कि उसकी खातेदारी आराजी का मानचित्र किस प्रकार त्रुटिपूर्ण है, साथ ही प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिदावे के समर्थन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज भी पेश नही किये है। अतः तनकी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम देवलिया के हाल खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 2120/2523 रकबा 2.11 के हाल व वंर्किग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:04:38 IST
Reason: SelfAttested

डिकी व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

शान्ति बना कानी

दावा बाबत :– 88,188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 84/2020
पेश करने की दिनांक – 04.09.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई कैलाश बीजावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम देवलिया के हाल खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 2120/2523 रकबा 2.11 के हाल व वंर्किग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 6 माह 12 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:04:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद